killed in Srinagar on 19-7-1994. Investigation of the case has been handed over to a Special Investigation Team by the Government of J & K. It would be premature to indicate any further details at this stage.

(d) to (f) Government have consistently been apprising the international community, including the US Government, through diplomatic and other channels, about the sponsorship of cross-border terrorism by Pakistan, and the dangers inherant in continuation of such support of terrorism by Pakistan. Government will continue to pursue these efforts intensively.

पूजा स्थल पर सुरक्षा-बलों की तैनाती

2940. **मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तीर्थ स्थलों और पूजा स्थलों के आसपास सुरक्षा बलों/सैनिकों को बारंबार तैनात किये जाने की प्रवृत्ति आजकल बढ़ गयी है;

(ख) क्या इन्हें बारंबार तैनात किये जाने से देश के रक्षा कर्मियों का साम्प्रदायिकीकरण हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस खतरनाक प्रवृत्ति से रक्षा कर्मियों को बचाने के लिए क्या उपाय कर रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद): (क) केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों इत्यादि को राज्यों के विशेष अनुरोध पर, लोक-व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, उन की सहायता के लिए तैनात किया जाता है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दंगों और उपद्रवों में वृद्धि

2941. **मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान सरकार के शासन काल में दंगे और उपद्रव बढ़े हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन दंगों और उपद्रवों में अधिक नुकसान अल्पसंख्यकों का हुआ है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अधिकांश दंगे और उपद्रव सुनियोजित ढंग से किये गये थे और सरकार ने उनको रोकने के लिए कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठाये थे;

(घ) इस सब के बारे में विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हाल ही में बारपेटा, असम में अल्पसंख्यकों का नरसंहार किया गया और उस समय केन्द्र के मंत्रीगण भी वहां मौजूद थे; और

(च) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) दंगों में सभी समुदायों के लोग प्रभावित होते है। तथापि, समुदाय-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) से (च) असम के बारपेटा जिले में 19 से 24 जुलाई, 1994 तक व्यापक हिंसा हुई है। असम-राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 19 जुलाई, 1994 को बारपेटा जिले के बारपेटा थाना क्षेत्र में बोड़ो और गैर-बोड़ो लोगों के बीच जातीय हिंसा भड़क उठी। इन वारदातों से प्रभावित हुए गांव हैं-मतंगा, बोन्साजापाथर, नरसिंहबाड़ी, भाकुआपाथर, धेकियाजानी, देन्साजापथर, बिलासीपाड़ा, खरसागुड़ी, सेलाकण्डी, चारवाड़ी, निमुआ, चेंगलीमारी, बोकलीजान, हरनपाड़ा, दोलाइपुरा, चकुआगुड़ी, बोरघोपे, नोरइझार और कटाझार। 19 जुलाई, 1994 को भड़की हिंसा 20 और 21 जुलाई, 1994 को अन्य गांवों में फैल गई। 19—21 जुलाई, 1994 के बीच हुई हिंसात्मक वारदातों के परिणामस्वरूप 250 मकानों को आग लगा दी गई तथा 16 व्यक्तियों को जान से हाथ धोना पड़ा। एक मामले में, 20 जुलाई, 1994 को पुलिस की गोलीबारी के कारण तीन शरारती तत्वों के मारे जाने की खबर है। 21 जुलाई के अपराह्न के बाद से 23 जुलाई, 1994 की रात तक कोई वारदात नहीं हुई। 23 और 24 जुलाई, 1994 के बीच की रात को गैर-कानूनी बोड़ो सिक्यूरिटी फोर्स के उग्रवादियों ने बांसबाड़ी स्थित राहत शिविर पर पहरा दे रहे पुलिस दल तथा शिविर में शरण लिए हुए लोगों पर आक्रमण कर दिया। पुलिस दल ने जवाब में गोली चलाई। बोड़ो सिक्यूरिटी फोर्स के उग्रवादियों ने शिविर के दो तरफ से ट्रेसर बुलेट्स से फायरिंग शुरू कर दी जिसमें छप्पर वाले मकानों में आग लग गई।

तत्पश्चात्, उग्रवादियों ने भाग रहे लोगों पर लगभग 20 मिनट तक अंधाधुंध गोली चलाई। उपलब्ध रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि 35 गैर बोड़ों अल्पसंख्यक मारे गए तथा 60 जख्मी हुए। तीन बोड़ो उग्रवादियों के मारे जाने की भी खबर है। राज्य सरकार से कहा गया है कि वह सेना, अर्द्ध-सैनिक बलों, राज्य पुलिस तथा केन्द्रीय और राज्य आसूचना एजेंसियों से पूरा सहयोग करके बोड़ो सिक्यूरिटी फोर्स के खिलाफ सतत अभियान चलाए। राज्य सरकार से यह भी कहा गया है कि सभी पीड़ित व्यक्तियों को पर्याप्त राहत प्रदान की जाए। स्थिति की बराबर मानिटरिंग की जा रही है।

Practice of Bhoomi Pujas

2942. SHRI ASHOK MITRA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether bhoomi pujas have not become a common feature of official functions held in connection with the inauguration of construction activities;

(b) whether such bhoomi pujas are not in conflict with the secular character of the State; and

(c) whether Government would be agreeable to issue instructions prohibiting the practice?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P.M. SAYEED): (a) to (c) In November, 1986 Government decided that there would be no religious ceremonies of any sort at Government functions. This decision was made known to all concerned. Also, the State Governments/Union Territory Administrations were requested to issue suitable instructions accordingly.

Amendment in Criminal Procedure Code

2943. SHRIMATI VYJAYANTIMALA BALI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) in view of the increased incidents of kidnappings for ransom and atrocities on innocent dalit women all over the country, whether Government will bring forward suitable amendments to the Criminal Procedure Code to make them cognisable offences and not to release the offenders on bailable bonds;

(b) if so, by when Government proposes to bring forward the amendments; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) to (c) Kidnapping for ransom etc. is already a cognizable and non-bailable offence under section 364A of the Indian Penal Code. Necessary provisions have been made in the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (No. 33 of 1989) to protect the Scheduled Castes and Scheduled Tribes women from commission of atrocities against them. Most of the offences under the Act are cognizable and non-bailable. Section 18 of the Act provides that the provisions of section 438 of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall not apply to persons accused of having committed an offence under the Act. Hence such persons cannot be granted anticipatory bail.

Assistance to Victim of Bomb Blasts

2944. SHRI INDER KUMAR GUJRAL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a write-up in the 'Pioneer' of 23rd July, 1994 regarding the plight of Shri Mahender Sharma, as teacher in Poonch, who has suffered painful physical injuries in trying to save the students from a bomb thrown by the terrorists;

(b) whether it is a fact that the Government uptil now has not given any help or assistance to this young man and his family; and